

कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.)
mail- ngcrampur@gmail.com

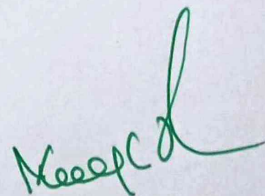
क्रमांक Q / स्था. / 2025

दिनांक 25.08.2025

: सूचना :

कार्यालय आयुक्त, उ. शि. संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक Q / आउशि / 2025 दिनांक 24.08.2025 के परिपालन में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति कार्यवाही आगामी आदेश तक रोका जाता है, शासन से निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय रामपुर,
जिला कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412 ईमेल Email ID – highereducation.cg@gmail.com

पत्र क. Q /आउशि/2025
प्रति,

नवा रायपुर अटलनगर, दिनांक – 24/08/2025

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/
38-1 दिनांक 22.08.2025

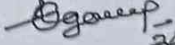
—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन के संदर्भित आदेश के द्वारा अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं की, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति की जांच हेतु संभागवार जांच समिति गठित की गई है, जिसका प्रतिवेदन जांच समिति को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

तब तक के लिए जिन महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।

साथ ही ऐसे महाविद्यालय जहां अतिथि व्याख्याताओं के नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं, उन महाविद्यालयों में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


24.8.2025
(डॉ. संतोष कुमार देवांगन, भा.प्र.से.)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)